

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 बुचावास

अनुवान समसुदीन तेली बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 376/2025

निर्णय दिनांक17/09/25.....

समसु दीन तेली पुत्र सतार खां तेली जाति तेली निवासी वार्ड नं. 23 तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

-::निर्णय::-

प्रार्थी द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 बुचावास में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 856 खसरा सं. 365 तादादी 4.3246 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम बुचावास में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम समसुदीन पुत्र मोहम्मदसतार दर्ज है जो कि गलत है सही नाम समसु दीन तेली पुत्र सतार खां तेली है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम समसु दीन तेली पुत्र सतार खां तेली किये जाने की अभिशंका की है।

अतः कृपि भूमि रोही ग्राम बुचावास तहसील तारानगर के खाता संख्या 856 खसरा सं. 365 तादादी 4.3246 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम समसुदीन पुत्र मोहम्मदसतार Delete कर इसके स्थान पर समसु दीन तेली पुत्र सतार खां तेली अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/09/25 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 बुचावास में लिखाया जाकर सुनाया गया।



Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)